

राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र

मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा.लि. ग्राम- तराईमाल, ब्लॉक- तमनार जिला- रायगढ़ के निकट स्थापित स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे.वा. कैप्टिव पॉवर प्लांट हेतु गेरवानी नाला से प्लांट तक पानी ले जाने हेतु 2.6 कि. मी. पाईप लाईन बिछाने (1.5 मीटर चौड़ाई) हेतु कुल 0.117 हे. वनभूमि में पाईप लाईन बिछाने कार्य में राजस्व वनभूमि का कलेक्टर का प्रमाण पत्र संलग्न है।

M/s. Singhal Energy Pvt. Ltd.
(जी.के. मिश्रा)
Authorized Signatory
मैनेजर
मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा.लि.


वनमण्डाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल रायगढ़



कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायगढ़ (छ.ग.)

संशोधित

प्रदर्श 'स'

प्रमाण पत्र

मेसर्स सिंघल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ताराईमाल ब्लाक तमनार जिला रायगढ़ द्वारा गेरवानी नाला से प्लांट को पानी सप्लाई हेतु लगभग 2 कि.मी. पाईप लाईन विछाने हेतु कुल 0.117 हे. वन भूमि प्रस्तावित हो रही है। जिसके प्रत्यावर्तन प्रस्ताव वन भूमि में 0.039 हे. राजस्व वन भूमि (नारंगी क्षेत्र 815) प्रस्तावित है के लिये वन भूमि के प्रकरण में व्यपवर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन :-

1- प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है, तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वनभूमि रकबा 0.117 हे.राजस्व वन भूमि (नारंगी क्षेत्र) 0.039 हे. एवं आरक्षित वनभूमि 0.078 हे. जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तदनुसार कार्यवाही पूर्ण की गई है।

सहायक महानिरीक्षक वन भारत सरकार का पत्र क्रमांक/11-9/98-एफ.सी. (पी.टी.) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक 05.02.2013 के द्वारा जहां विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी. सी.) एवं कृषि पूर्ण समुदायों के मान्यता अधिकार शामिल न हो वहां सड़क निर्माण, नहरों, पाईप लाईन, आर्टिकल फाइवर बिछाव एवं संचरण लाईनों जैसी परियोजनाओं का गमन (रेखिक व्यपवर्तन) के लिये ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता से छूट दी गई है।

2-यह प्रमाणित किया जाता है कि (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की ग्रामवार विवरण निम्नानुसार है

क.	ग्राम का नाम	तहसील	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे० में)
1	उजलपुर	तमनार	-	-

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वनभूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

4. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित राजस्व वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर

एवं :-

अध्यक्ष-जिला वन अधिकार समिति.
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

FORM-1
(for linear project)
Government of Chhattisgarh
Office of the District Collector Raigarh

No

Date

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.117 Hect. of forest land proposed to be diverted in favour of M/S Singhal Energy Pvt. Ltd Taraimal Tamnar Dist Raigarh for Construction of Gerwani Nala to Water Supplies of plant into 2KM. pipe line to lay. It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the total 0.117 hectares of forest area, proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure1..... to.....4.....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.


(Bhini Singh)
District Collector
Raigarh

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक / 1808 / वनअधि. / 2020

घरघोड़ा, दिनांक 13.10.2020

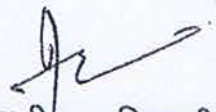
प्रति,

कलेक्टर, (भू-अभिलेख शाखा)
रायगढ़ (छ.ग.)

विषय:- अनापत्ति प्रमाण पत्र में त्रुटि सुधार के संबंध में।

विषयांतर्गत लेख हैं कि इस कार्यालय का पत्र क्रं. 862/वनअधि./2020 घरघोड़ा दिनांक 03/07/2020 के अनुसार मेसर्स सिंघल एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड ग्राम तराईमाल ब्लॉक तमनार जिला रायगढ़ द्वारा गेरवानी नाला से प्लांट को पानी सप्लाई हेतु लगभग 2 कि.मी. पाईप लाईन बिछाने हेतु कुल 0.117 हेक्टे. वन भूमि प्रस्तावित हो रही हैं, जिसके व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि में से 0.038 हेक्टे. राजस्व वन भूमि (नारंगी क्षेत्र 815) प्रस्तावित हैं, के संबंध में लिये गये वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी संबंधित FRA प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसमें 0.038 हेक्टे. को सुधार कर 0.039 हेक्टे. राजस्व वन भूमि पढ़ा जावे।

तदनुसार त्रुटि सुधार हेतु सादर सम्प्रेषित।


अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)